पत्रांक–मं0 स0 का0 का0 (गठन) 01/2007 खण्ड–2......120

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

–: संकल्प :–

दिनांक–..........

अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा कमजोर वर्गों के परिवारों को सहायता दिलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।

2. इस क्रम में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या–994 दिनांक–16.11.2009 द्वारा जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया था। उक्त संकल्प के अनुसार विधान परिषद के सदस्य, जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो, उक्त जिला के जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में पदेन सदस्य होंगे। बिहार विधान परिषद के वैसे सदस्यों, जिनका निश्चित निर्वाचन क्षेत्र है, द्वारा मांग की जाती रही है कि उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले सभी जिलों के कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों के पदेन सदस्य के रूप में रखा जाए।

3. पूर्व में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों में विधान मंडल के सभी सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों के सदस्य होते थे। इसके अलावा योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या 1458, दिनांक–04.05.2011 द्वारा मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना हेतु जिला स्तर पर गठित चयन समिति में यह प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद के वैसे सदस्य जिनका निश्चित निर्वाचन क्षेत्र है, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले सभी जिला चयन समिति के सदस्य होंगे।

4. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों के पुनर्गठन से संबंधित मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या 994 दिनांक–16.11.2009 को निम्न प्रकार से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) विधान परिषद के वैसे सदस्य, जिनका निश्चित निर्वाचन क्षेत्र हो, अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सभी जिलों के कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों के पदेन सदस्य होंगे।

(ii) विधान परिषद् के मनोनीत सदस्य (विधान सभा कोटे से निर्वाचित सदसय को लगाकर) उन जिलों के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के पदेन सदस्य होंगे जिस जिला के मतदाता सूची में उनका नाम हो अथवा ऐसे सदस्य राज्य के किसी एक जिला का चयन करेंगे, जिस जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के वे सदस्य होंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की सूचना के लिए इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

5/03/2012

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– मं0 स0 का0 का0 (गठन) 01/2007 खण्ड–2 – 120 पटना, दिनांक–....5.3.12.....

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार/सभी मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्रीगण एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

5/03/2012

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– म0 स0 का0 का0 (गठन) 01/2007 खण्ड–2 120 पटना, दिनांक–5.3.2012

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्व पर्षद/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सचिव/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– म0 स0 का0 का0 (गठन) 01/2007 खण्ड–2 120 पटना, दिनांक–5.3.2012

प्रतिलिपि–सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी जिला के उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ। जिला पदाधिकारी अपने अनुमंडल पदाधिकारियों/जिला के तकनीकी पदाधिकारियों को इसकी एक प्रति उपलब्ध करायेंगे। इसी तरह आरक्षी अधीक्षक अपने सभी आरक्षी उपाधीक्षकों को इसकी प्रति उपलब्ध करायेंगे।

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव